दैनिक
न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, मंगलवार 22 अक्टूबर 2024
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भठली चौक से परसरामपुर मार्ग का भूमिपूजन किया

5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनेगा 03 किमी सड़क

सारंगढ़ बिलाईगढ़। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने 05 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 03 किमी लंबी सड़क सरिया (भठली चौक) से परसरामपुर मार्ग का भूमिपूजन किया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह भूमिपूजन सरिया के परसरामपुर चौक में किया गया। इस अवसर पर सत्ताधारी दल के वरिष्ठ सदस्य जगन्नाथ पाणिग्राही, मोहन नायक, बाबूलाल पटेल, एसपी पुष्कर शर्मा, एसडीएम प्रखर चंद्राकर, पीडब्ल्यूडी एसडीओ विग्नेश सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से 30 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी वेबसाईट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित संस्था, जिला कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त की जा सकती है।

सरसीवां में 22 अक्टूबर को होगा कौशल पखवाड़ा शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलाईगढ़ विकासखंड के पुराना पंचायत सरसीवां में 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कौशल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में युवाओं से काउंसिलिंग कर उपलब्ध विभिन्न कोर्स के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र लिए जायेंगे। जिले में संचालित कौशल विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नल जल मित्र कार्यक्रम, आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रगति लाने तथा ग्रामीण स्तर के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण की पहुंच बनाने के उद्देश्य से जिले में कौशल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जाना निर्धारित है।

बरमकेला में किया गया खाद्य सामग्री की जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश और सीएमएचओ डॉ एफ आर निराला के मार्गदर्शन में आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिले के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और नकली मिठाइयों से बचाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बरमकेला के गणेश स्वीट्स से खोवा, विधि रेस्टोरेंट से खोवा, खोवा बर्फी, पेड़ा एवं कलाकंद तथा विजय होटल से बूँदी लड्डू, चमचम का नमूना लिया गया है। इसी प्रकार खाद्य निरीक्षक द्वारा विद्या बेकरी एवं किराना दुकानों के खाद्य सामग्रियों का जांच किया गया।

पीएम नटवर स्कूल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय प्रतियोगिता

❐ विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए जिले के सभी पीएम स्कूल

रायगढ़

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के आदेश अनुसार कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में पीएमश्री नटवर स्कूल, रायगढ़ में जिले के सभी पीएमश्री स्कूलों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के सभी पीएम स्कूलों के विद्यार्थी जो विद्यालय स्तर पर चयनित हुए थे, उन्होंने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव, डीएमसी नरेंद्र चौधरी, एपीसी भुवनेश्वर पटेल सहित स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

जिला सहायक नोडल अधिकारी पीएम स्कूल आलोक स्वर्णकार ने प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चार प्रकार की विधाओं का आयोजन किया गया। जिसमें विद्या वैभव (ओलंपियाड) जिसके अन्तर्गत क्विज, वाद-विवाद, रचनात्मक कला और खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थी भाग लिए जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभा को पोषित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसी तरह मंथन मंडल (डिबेट क्लब)अन्तर्गत विकसित भारत और एक राष्ट्र, एक चुनाव पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। जिससे विद्यार्थियों में नेतृत्व और टीम वर्क की भावना विकसित होगी। डिजिटल क्वेस्ट के माध्यम से छात्र पर्यावरण, खेल जैसे सामाजिक मुद्दों की पहचान करेंगे तथा शिक्षकों से सहायता लेकर डिजिटल उपकरणों (कंप्यूटर, टैबलेट) का उपयोग करके सोशल मीडिया अभियान चलाएंगे। स्थानीय स्थलों की खोज करें और जाने इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता को बढ़ावा देना, समुदाय और अपने पन की भावना पैदा करना अवलोकन और जांच को मजबूत करना प्रस्तुति कौशल विकसित करना। इन सभी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, और उनके परिणामों के आकलन के लिए निर्णायक मंडल की एक टीम गठित की गई। सभी प्रतियोगिताओं के निर्णायक गण ने विद्यार्थियों की प्रतिभा को निर्धारित मापदंड के अनुसार राज्य स्तर के लिए चयनित किया गया।

पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर एडवाइजरी जारी

रायगढ़

दीपावली त्योहार को देखते हुए जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग, रायगढ़ द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला अग्निशमन अधिकारी बी.कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वांइट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए इसकी मार का क्षमता 06 फिट की होती हैं। दुकानों के सामने कुछ अन्तराल में 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बल्लियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्नि शामक विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्नि शमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंडबाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। अग्नि शमन वाहन के मुवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

लग्जरी कारों से गांजा तस्करी करते दो अंतर्राज्यीय आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के मंदिरहसौद पुलिस के टीम ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे दो चारपहिया वाहनों को रोककर तलाशी लिए, तो उसमें से डेढ़ क्विंटल गांजा मिला। मामले में पुलिस ने दोनों वाहनों में सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

इसी के तहत आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 02 चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लेकर रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर पुलिस के टीम ने नाकेबंदी कर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहनों को आता देख उन्हे रोकवाया गया। 02 चारपहिया वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ में व्यक्यिों ने अपना नाम वसीम अहमद 29 वर्षी निवासी राजस्थान, भूपेन्द्र कुमार देवदास 30 वर्ष निवासी राजस्थान एवं शहजाद खान 33 वर्ष निवासी राजनांदगांव होना बताया।

चारपहिया वाहनों की तलाशी करने पर वाहनों में गांजा रखा होना पाया गया, गांजा के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वरा गांजा से उड़ीसा से लाना बताया गया है। जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 165 किलोग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त एक्सयूवी चारपहिया वाहन क्रमांक सीजी13 एस 0999 एवं थार चारपहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएफ 6897 को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

पुलिस स्मृति दिवस : कर्तव्य परायण में शहीद हुए जवानों को स्मरण कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि

❐ रायगढ़ सांसद, कलेक्टर और एसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर, शहीद परिवारों का किया सम्मान

रायगढ़

प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। यह दिवस सन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी फायरिंग में शहीद हुए 10 पुलिस जवानों की शहादत की स्मृति में प्रतिवर्ष "पुलिस स्मृति दिवस" के रूप में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस पर भारत के सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बीते 01 सितंबर से वर्तमान 31 अगस्त तक ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी रैंक के पुलिसकर्मियों की नामावली सूची का पाठन जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है।

इस वर्ष भी जिले के रक्षित केंद्र उर्दना स्थित शहीद स्मारक प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक शहीद हुए 216 जवानों के नामों का पठन किया, जिसके बाद सशस्त्र जवानों द्वारा शहीदों को सलामी दी गई और फिर शोक शस्त्र कर शहीदों के सम्मान में सशस्त्र जवानों के साथ उपस्थित सभी आगंतुकों ने सिर झुकाकर बारी-बारी से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल, एसपी रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल, एसपी सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुष्कर शर्मा ने रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शहीद पुलिस परिवार के सदस्यों का शाल, श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सल्पाहर पश्चात शहीद परिवारों को उनके घर तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, उप सेनानी सुरेशा चौबे, एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे, आकाश मरकाम, एसडीम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, डीएसपी अखिलेश कौशिक, उत्तम प्रताप सिंह,रमेश चंद्रा समेत जिला पुलिस और छठवीं वाहिनी रायगढ़ के जवान व पुलिस परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

दुर्गा पंडाल में मारपीट मामले के तीन फरार आरोपियों को जूटमिल पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

जूटमिल पुलिस ने दुर्गा पंडाल के सामने गरबा दौरान मीडिया से जुड़े युवक पर मारपीट कर फरार हुये 03 आरोपियों को कल मुखबीर सूचना पर उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया जिन्हें रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 11.10.2024 को प्रार्थी निमेश पाण्डेय, पिता पोषण प्रसाद पाण्डेय, उम्र 30 वर्ष, निवासी गौशाला पारा, थाना कोतवाली, रायगढ़ ने थाना जूटमिल आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पत्रकार है। घटना 10.10.2024 को रात्रि लगभग 9:40 बजे की है, जब वह अपनी परिचित के साथ मिनीमाता चौक जूटमिल दुर्गा पंडाल में हो रहे गरबा कार्यक्रम में शामिल हुआ था, इस दौरान जूटमिल निवासी युनुस, मेहराब, इंजमाम और कुछ युवकों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर लड़कियों के सामने गाली-गलौज कर रहे थे, निमेश ने उनके अनुचित व्यवहार का विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की जिससे निमेश के सिर, चेहरे और नाक पर चोटें आई थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, आरोपियों ने उन्हें भी मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर प्रथम दृष्टया धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने प्रार्थी और साक्षियों के बयान दर्ज कराकर घटना स्थल का निरीक्षण और साइट मैप तैयार किया गया। प्रार्थी ने अपने बयान में आरोपियों द्वारा चाकू जैसी धारदार चाबी से हमला किए जाने की पुष्टि की, जिसके आधार पर धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।

पुलिस द्वारा मुखबिरों की सहायता से आरोपियों की जानकारी प्राप्त होने पर आरोपियों के ठिकानों पर कल दबिश दी गई और यूनुस खान (24 वर्ष), इन्जमामुल हसन (21 वर्ष), और मेहराब हसन (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया और अपराध में प्रयुक्त धारदार चाबी को जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर पेश कर कल जेल दाखिल किया गया है, मामले की जांच जारी है।

चक्रधरनगर पुलिस ने चोरी की टीवी के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

चक्रधरनगर पुलिस ने कल रात मुखबीर की सूचना पर अंबेडकर चौक पर एक व्यक्ति को चोरी की LED टीवी बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा। पकड़े गए युवक का नाम दीपक उर्फ बिहू यादव (23 साल), कच्ची खोली भैसा कोटा जमुनाईन चौक चक्रधरनगर का निवासी है।

चक्रधरनगर थाना में रिपोर्टकर्ता गंगा पाल मिश्रा (82 वर्ष) ने कल थाना चक्रधरनगर में टीवी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें 12-13 अक्टूबर 2024 की रात को घर के ऑफिस का ताला तोड़कर ऑफिस से 32 इंच की क्राउन कंपनी की LED टीवी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाना बताया गया था। इस घटना के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला संख्या 486/2024, धारा 305(A), 331(4) BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मुखबीरों को सक्रिय कर सूचना जुटाई गई। इसके परिणामस्वरूप कल दीपक यादव को पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी की गई 32 इंच की क्राउन कंपनी की LED टीवी बरामद की गई, जिसकी कीमत 18,000 रुपये है। आरोपी को आज चक्रधरनगर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, और उसे जेल भेज दिया। इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, सउनि उदय सिदार और अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी

❐ दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि में एक सप्ताह की वृद्धि

❐ 27 नवंबर को होगा निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी की दुर्घटना से बचने के लिये क्या करें, क्या न करें

रायगढ़

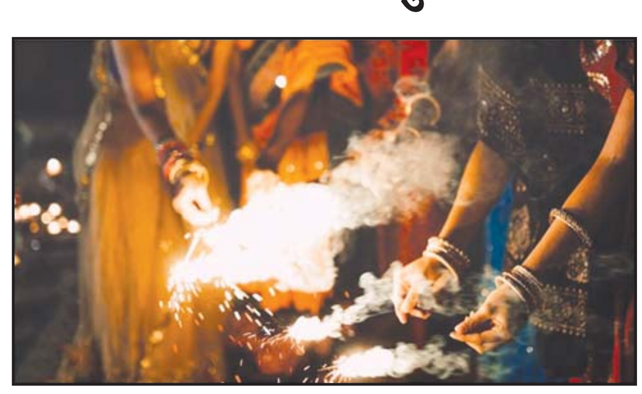

दीपावली त्योहार को देखते हुए लोगों को आग की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए अग्निशमन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जिला अग्निशमन अधिकारी बी.कुजूर ने आगजनी की दुर्घटना से बचने के लिए विस्तृत जानकारी दी है।

क्या करें-

लायसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखा खरीदें यह सुनिश्चित करें, कि आप गुणवत्ता वाले पटाखें खरीद रहे है, जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिये अनुमोदित हो। इमारतों वाहनों और ज्वलनशील पदार्थो से दूर पार्क बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपात कालीन स्थिति के लिये पानी की बाल्टी निकट रखें। आग से संबंधित चोटों के जोखिम को कम करने के लिये सूती वस्त्र पहनने को प्राथमिकता दें, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते है। पटाखे जलाते समय बच्चों की निगरानी के लिए हमेशा एक व्यस्क को साथ रखें ताकि या सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा उपायों का पालन कर रहें है। पटाखे फोडऩे के बाद इस्तेमाल किये गये पटाखों का पानी की बाल्टी से सुरक्षित तरीके से निपटान करें ताकि किसी बची हुई चिंगारी से अग्नि दुर्घटना ना हो। एक बार में एक ही पटाखा जलाए, आग लगने के आशंका को देखते हुये एक साथ कई पटाखे जलाने से बचें। पटाखें में आग लगाने के बाद उससे सुरक्षित दूरी रखें। पटाखा जलाते समय हमेशा हवा की दिशा को ध्यान में रखें जिससे की उसकी चिंगारी घरों या व्यक्तियों की ओर न उड़े।

क्या ना करें-

घर के अंदर खिड़कियों के पास या बंद स्थानों पर कभी पटाखा न जलाएं। पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचे क्योकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलनशील पदार्थो के पास पटाखों का उपयोग न करें, पटाखों का सुखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें। यदि कोई पटाखा जलने में विफल रहता है तो उसे पुन: जलाने का प्रयास न करें अपितु कुछ देर प्रतीक्षा करने के उपरांत उसका सुरक्षित रूप से निपटान करें। यह सुनिश्चित करें कि पटाखे ऐसे स्थानों में न जलाए जो आग लगने की स्थिति में आपात कालीन निकास मार्ग को अवरूद्ध कर सकते है। तेल के दियों या मोमबत्तियों को जलाते हुए उपेक्षित न छोड़े, विशेष रूप से पर्दो या ज्वलनशील पदार्थो के पास। किसी भी तरह की चोट लगने या जलने पर तुरन्त चिकित्सक की सलाह लें तथा उचित मार्गदर्शन के बिना घरेलू उपचार न करें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480